

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 50/21

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर	घेवरचंद शर्मा पुत्र लूणाराम जाति ब्राह्मण निवासी मु.पो. तेजाजी मंदिर रोड खरनाल तहसील मुण्डवा जिला नागौर फर्म-श्रीराम किराणा स्टोर तेजाजी मंदिर रोड खरनाल तहसील मुण्डवा जिला नागौर।	

आदेश

दिनांक :27.07.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 15-07-2021 को श्रीराम किराणा स्टोर तेजाजी मंदिर रोड खरनाल तहसील मुण्डवा जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ सोयाबीन का तेल (लूज) में मिलावट का शंक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1559 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/246/एक्ट/2021/112 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ सोयाबीन का तेल (लूज) Is prohibited as it contravence Regulation No. 2.3.15.(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त घेवरचंद शर्मा पुत्र लूणाराम जाति ब्राह्मण निवासी मु.पो. तेजाजी मंदिर रोड खरनाल तहसील मुण्डवा जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (v) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 05-10-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 13.07.2022 को श्री राजाराम आरिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी ने दिनांक 27.07.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से तेल का सैम्पल लिया जो जांच में लूज होना पाया गया। मैं छोटा दूकानदार हूँ तथा मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। भविष्य में तेल को बेचते समय गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बेचूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूँ तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/246/एक्ट/2021/112 दिनांक 29.07.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोयाबीन का तेल (लूज) का नमूना Is prohibited as it contravence Regulation No. 2.3.15.(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (v) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी घेवरचंद शर्मा पुत्र लूणाराम जाति ब्राह्मण निवासी मु.पो. तेजाजी मंदिर रोड खरनाल तहसील मुण्डवा जिला नागौर पर रुपये 10,000/- अक्षर दस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयवाधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
आंतरिक जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राजस्थान)